

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत गैर शासकीय विद्यालयों को पंजीयन एवं मान्यता प्राप्त करने हेतु शूल्स शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन को आवेदन

प्ररूप 1

(नियम 11 (1) देखिए)

शूल्स की मान्यता के लिए स्व घोषणा-सह-आवेदन

क. 31702

(Nalanda Public School) दिनांक 22/08/2017

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला (JABALPUR)

मध्यप्रदेश


माध्यम से : विकास खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, JABALPUR (URBAN)

Revised Recognition, Recognition Number :39251642


महोदय,

मैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विहित सन्नियमों एवं मानकों का पालन करने संबंधी स्व घोषणा (Nalanda Public School) को मान्यता प्रदान करने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन अद्येषित करता हूँ।

संतुष्टः


PRINCIPAL
NALANDA PUBLIC SCHOOL
DHANWANTRI NAGAR,
JABALPUR (M.P.)

भवदीय .


हस्ताक्षर

प्रबंध समिति के अध्यक्ष/ प्रबंधक/ प्राचार्य

स्थान

विद्यालय का नाम Nalanda Public School

22.8.17
Jabalpur

PRINCIPAL
NALANDA PUBLIC SCHOOL
JABALPUR-482003 (M.P.)